पत्र संख्या-20/2022/890/86-2022-01(बजट)/2022

प्रेषक,

डॉ0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2022

विषयः-अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक -''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उ़द्योग'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के शेष 08 माहों (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र संख्या-940/ए-4/2022, दिनांक 04.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उ़द्योग'' के ''03-खनन प्रशासन की योजना', ''03-खनिज अन्वेषण'' व ''06-खनिज विकास की योजनायें'' से सम्बन्धित मानक मदों के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 65,23,45,000.00 (रू0 पैसठ करोड़ तेइस लाख पैतालीस हजार मात्र) में से शासनादेश संख्या-357/86- 2022-01(बजट)/2022, दिनांक 14.04.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के व्यय हेतु स्वीकृति धनरशि रू0 19,70,50,000.00 (रू0 उन्नीस करोड़ सत्तर लाख पचास हजार मात्र) को घटाकर शेष आठ माहों (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के व्यय हेतु अवशेष धनराशि रु0- 45,52,95,000.00 (रु0 पैतालिस करोड़ बावन लाख पंचानबे हजार-मात्र) को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-2024/दस-2022-231/2022, दिनांक 29.03.2022 एवं समय- समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित मद पर ही किया जायेगा एवं किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय स्वीकृत किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उ़द्योग'' से संबन्धित योजनाओं की सुसंगत इकाइयों व मदों, जिनका विवरण इस शासनादेश के संलग्नक में दिया गया है, के नामें डाला जायेगा।

<u>संलग्नक यथोपरि।</u>

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः /86-2022, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

कृपया भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन
वित्तीय वर्ष 2022-23

संख्या- /86-2022-01(1)/2022 दिनांक 2022

अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) मतदेय

2	8	5	3		0	2		0	0	1		0	3		0	0

मुख्य लेखाशीर्षक - 2853.अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-
उप मुख्य लेखाशीर्षक - 02. खानों का विनियमन तथा विकास -
लघु शीर्षक - 001.निदेशन तथा प्रशासन-
उपशीर्षक - 03. खनन प्रशासन की योजना-
व्यौरेवार शीर्षक - 00

(रूपये लाख में)

लेखाशीर्षक तथा उसकी व्यय की मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 के चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिय शासन स्तर से जारी स्वीकृति धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष आठ माह (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिये स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4 (2-3)
01- वेतन	1500.00	466.67	1033.33
02- मजदूरी	430.00	130.00	300.00
03- महंगाई भत्ता	555.00	172.67	382.33
04- यात्रा व्यय	3.00	1.00	2.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.67	1.33
06- अन्य भत्ते	0.20	0.06	0.14
07- मानदेय	0.25	0.08	0.17
08- कार्यालय व्यय	3.50	0.83	2.67
09- विद्युत देय	20.00	4.33	15.67
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10.00	0.93	9.07
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.16	0.34
13- टेलीफोन एवं व्यय	6.25	0.67	5.58

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	150.00	33.33	116.67
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300.00	33.33	266.67
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	30.00	10.00	20.00
18- प्रकाशन	10.00	3.33	6.67
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	56.00	--	56.00
29- अनुरक्षण	10.00	2.50	7.50
42- अन्य व्यय	1.50	--	1.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.17	0.33
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.17	0.33
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20.00	3.33	16.67
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7.00	1.50	5.50
49- चिकित्सा व्यय	20.00	4.33	15.67
51-वर्दी व्यय	0.50	0.17	0.33
55-मकान किराया भत्ता	85.00	40.00	56.67
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	150.00	40.00	110.00
योग :-001 (03) मतदेय			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

कृपया भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन
वित्तीय वर्ष 2022-23

संख्या- /86-2022-01(1)/2022 दिनांक 2022

अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) मतदेय

2	8	5	3		0	2		0	0	4		0	3		0	0

मुख्य लेखाशीर्षक - 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-
उप मुख्य लेखाशीर्षक - 02. खानों का विनियमन तथा विकास -
लघु शीर्षक - 004. निदेशन तथा प्रशासन-
उपशीर्षक - 03. खनन प्रशासन की योजना-
व्यौरेवार शीर्षक - 00

(रूपये लाख में)

लेखाशीर्षक तथा उसकी व्यय की मदें	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 के चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिय शासन स्तर से जारी स्वीकृति धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष आठ माह (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिये स्वीकृत धनराशि(2-3)
1	2	3	4 (2-3)
01- वेतन	1975.00	658.33	1316.67
02- मजदूरी	33.00	10.00	23.00
03- महंगाई भत्ता	730.75	243.58	487.17
04- यात्रा व्यय	15.00	5.00	10.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.67	1.33
06- अन्य भत्ते	0.25	0.08	0.17
08- कार्यालय व्यय	6.50	2.00	4.50
09- विद्युत देय	45.00	11.00	34.00
10- जलकर/जल प्रभार	28.00	6.67	21.33
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00	1.33	4.67
13- टेलीफोन पर व्यय	4.50	0.43	3.67
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और	20.00	6.00	14.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पेट्रोल आदि की खरीद			
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3.00	0.88	2.12
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	25.00	6.67	18.33
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.75	0.58	1.17
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33	0.67
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8.00	1.66	6.34
49- चिकित्सा व्यय	35.00	8.33	26.67
51-वर्दी व्यय	1.00	0.33	0.67
55-मकान किराया भत्ता	128.00	42.67	85.33
योग :-004 (03) मतदेय	**3068.75**	**1006.94**	**12061.81**
06- खनिज विकास की योजनायें 0602- खनिज विकास की योजनायें			
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00	16.67	33.33
13- टेलीफोन पर व्यय	13.00	1.66	11.34
42-अन्य व्यय	20.00	6.67	13.33
योग 06	83.00	25.00	58.00
योग 2853 001(03)+004(04+06)	**6523.45**	**1970.50**	**4552.95**
योग 2853 (001+0046) (रूपया पैंतालिसकरोड बावन लाख पंचानबे हजार मात्र)			

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in